तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
21.09.23	पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि उभयपक्ष विवादित आराजी के सहखातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को आबादी के बीच में होने का तर्क देते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ है। रैस्पो0 विवादित आराजी पर जबरदस्ती विद्युत कनेक्शन लेकर विवादित आराजी की स्थिति में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने जवाब प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को आबादी से लगी नहीं होने के तथ्य को स्वीकार किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी को आबादी से लगी होना मानकर गलत निर्णय पारित किया है। अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर दोंनों पक्षो को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी में अपीलाण्ट का 30 साल पुराना मकान है, जिसमें वह निवास कर रहे हैं एवं उन्होंनें विद्युत कनेक्शन ले रखा है। बॅटवारे में अन्य आराजी को शामिल नहीं किया, जबकि अपीलाण्ट को सहखातेदारी की सभी आराजी को दावे में शामिल करना चाहिये था। अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 ने विवादित आराजी का पूर्व में आपसी सहमति से बॅटवारा कर रखा है। जिसमें रैस्पो0 के हिस्से में आयी आराजी पर रैस्पो0 ने डीप बोर लगवा रखा है। जिसके लिये रैस्पो0 विद्युत कनेक्शन लेना चाह रहे हैं। अपीलाण्ट द्वारा बदनीयती एवं बेईमानी से गलत तथ्यो पर सही तथ्यो को छुपाकर मौजूदा दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि मनवट से तीस साल पूर्व विभाजन हो चुका है तथा दोंनों ही पक्ष अपने–अपने हिस्से में आयी आराजी का उपयोग व उपभोग अपनी सुविधानुसार कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2019(1) पेज 172, आरआरडी 1997 पेज 394 का उद्धरण प्रस्तुत किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 की मद संख्या 3 में यह उल्लेख किया है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर अपने मनवट में आये हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और उसी अनुरूप लगान इत्यादि देते चले आ रहे हैं और प्रार्थी ने उक्त आराजी की मैड पर कृषि विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा अपने खेतो की सिंचाई करता है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में उक्त विवादित आराजी को गॉव	

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

व आबादी से सटैमा स्थित होना एवं उसमें अप्रार्थीगण द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को गुमराह कर आबादी में विद्युत कनेक्शन लेकर मिसयुज करना चाहते हैं, अंकित किया है। हम पाते हैं कि एक तरफ तो प्रार्थी अपीलाण्ट स्वयं विवादित आराजी का मनवट हिस्सा होना एवं स्वयं का विवादित आराजी पर विद्युत कृषि कनेक्शन होना व विवादित आराजी को आबादी के सटैमा होना स्वीकारते हैं। परन्तु विवादित आराजी पर प्रार्थी अपीलाण्ट का स्वयं का विद्युत कृषि कनेक्शन होने के बाबजूद भी अप्रार्थी रैस्पो0 को कृषि विद्युत कनेक्शन लने से रोकने के आशय से प्रार्थी अपीलाण्ट ने स्थगन चाहा है। अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अन्य खातेदारो के साथ, अन्य संयुक्त आराजी वाके ग्राम घीवडी तहसील कठूमर में भी मौजूद है। परन्तु प्रार्थी अपीलाण्ट ने उक्त आराजी के विभाजन हेतु कोई कानूनी कार्यवाही की गयी हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रार्थी अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही हस्तगत अपील में ही प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा केवल मात्र खसरा नम्बर 853 रकवा 0.08 है0 वाके ग्राम मॉझी तहसील नदबई के विभाजन बाबत् दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है एवं उक्त खसरा नम्बर को भी प्रार्थी अपीलाण्ट स्वयं अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में मनवट के आधार पर विभाजन होना स्वीकार करते हुये अपने हिस्से में आयी आराजी पर कृषि विद्युत कनेक्शन लगा होना तथा विवादित आराजी का आबादी से सटैमा होना स्वीकार करते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि प्रार्थी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वच्छ हाथो से पेश नहीं किया है। प्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा केवल मात्र मनवट में अप्रार्थीगण के हिस्से में आयी आराजी पर कृषि कनेक्शन रोकने के उद्देश्य से उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलाण्ट के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी रैस्पो0 के पक्ष में अधिक पुष्ट होता है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो उनको प्रार्थी अपीलाण्ट की तुलना में अधिक असुविधा होगी। इससे अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रकरण के समस्त तथ्य एवं दस्तावेज यथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी इत्यादि न्यायालय के समक्ष आ चुके हैं एवं मूल रैस्पो0 की तरफ से कैबियटर अधिवक्ता उपस्थित हो चुकें। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव किये जाने की आवश्यकता महसूस ना करते हुये, इसी स्तर पर अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2023 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर